भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *132
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

'हर घर नल से जल' योजना की स्थिति

***132. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषादः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'हर घर नल से जल' योजना पूरे देश के लिए है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा उक्त योजना की निगरानी हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है;
(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार में उक्त योजना के पूरा होने की जिला/ब्लॉक /पंचायतवार क्या स्थिति है;
(घ) क्या ठेकेदार, कार्य-निष्पादन से संबंधित किसी गारंटी से बंधा हुआ है और यदि हां, तो सेवाओं में रह जाने वाली कमी की स्थिति से निपटने के संबंध में कार्य करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) धनराशि के गबन और अन्य भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठेकेदारों, पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य प्राधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता से संबंधित क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद द्वारा पूछे गए 'हर घर नल से जल' योजना की स्थिति के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *132 के उत्तर में भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। भारत सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है।

जेजेएम के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 10.02.2025 तक, लगभग 12.22 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.02.2025 तक, देश के 19.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.45 करोड़ (79.79%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति की सूचना है।

(ख) भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेजेएम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने आदि के लिए समय-समय पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों आदि सहित कई बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन समीक्षाओं के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाएं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति की सूचना दी गई है और प्रदान किए गए सभी नल जल कनेक्शनों को परिवार के मुखिया की आधार संख्या से जोड़ा जाना है। जेजेएम के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग और काम की गुणवत्ता की जांच के लिए तीसरे पक्ष के निरीक्षण के प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा, मोबाइल ऐप, जल गुणवत्ता निगरानी सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस), सेंसर आधारित आईओटी उपकरणों आदि का भी उपयोग निगरानी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तृतीय

पक्ष कार्यशीलता मूल्यांकन भी किया जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ रिपोर्टें साझा की जाती हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 5.16 लाख (1.93%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 2.29 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.02.2025 तक, राज्य के 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2.34 करोड़ (87.64%) ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

इसी तरह, बिहार राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 3.16 लाख (1.89%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 1.57 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 10.02.2025 तक, प्रदेश के 1.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 1.60 करोड़ (95.71%) ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में जेजेएम के अंतर्गत वास्तविक प्रगति की जिला/ब्लॉक/ग्राम-वार स्थिति जेजेएम डैशबोर्ड के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:
https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx.

(घ) और (ङ) पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए, जेजेएम के तहत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के एसडब्ल्यूएसएम/ पीएचईडी/आरडब्ल्यूएस विभाग का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई)/ग्रामीण जल आपूर्ति (आरडब्ल्यूएस) विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) जेजेएम के अंतर्गत शुरू की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदित करती है। एसडब्ल्यूएसएम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) ग्राम-अवस्थित जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं को जिला स्तर पर अनुमोदित करता है।

इसके पश्चात, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का एसडब्ल्यूएसएम/पीएचईडी/ आरडब्ल्यूएस विभाग उनके प्रासंगिक खरीद नियमों के अनुसार निविदा संबंधी विधिवत प्रक्रिया का पालन करके ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाता है।

इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधियों के गबन और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कार्रवाई और निपटान किया जाता है। इस विभाग में अब तक प्राप्त ऐसे मामले/अभ्यावेदन, यदि कोई हों, उचित सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिए गए हैं।

*****